विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),

कानपुर मण्डल, कानपुर ।

परिवाद संख्या - 37/2021

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

------- परिवादी /आवेदक

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द.वि.वि.नि.लि.)
छिबरामऊ, कन्नौज ।

-------विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) द्वारा इनर्जी कन्ट्रोलर ने अपने विद्वान अधिकृत अधिवक्ता मो. कौसर जाँह द्वारा दिनांक 12.10.2021 को अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, छिबरामऊ, कन्नौज (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के विरूद्ध अपने संयोजन सं. 781705717968 के संम्बंध में त्रुटिपूर्ण मीटर एवं विद्युत बिलों में संशोधन के सम्बंध में इस फोरम के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद में मूख्यरूप से निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया है:-

(a) विद्युत विलों की धनराशि में विद्युत वितरण कोड 2005 के धारा 6.5 (c) के अनुसार संशोधन किया जाये ।

(b) अधिक जमा की गयी धनराशि का समायोजन आगामी विलों में विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (c) के अनुसार किया जाय ।

(c) विपक्षी को विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (b) (i) के अनुसार विलम्ब अधिभार (LPSC) को माफ करने हेतु निर्देशित किया गया ।

(d) बाद खर्च के भुगतान हेतु आदेश पारित किया जाय ।

(e) अन्य कोई आदेश जिससे उपभोक्ता का अधिकार संरक्षित रहे ।

आगे जारी है ।

इण्डस टावर लि. सक्रावा, छिबरामऊ संयोजन सं. 781705717968 स्वीकृत भार 11.11 KW का Previous Arrear और Previous Surcharge रु. 6,048/- था।

विपक्षी ने जवाबदावा (का.सं. 3/1 ता 3/6 एवं संलग्नक का.सं. 3/7 ता 3/8) दाखिल किया है। धारा 1 के कथन विवादित नहीं है। धारा 2 के कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में टेली कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट से जारी फर्म /परिवादी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की कोई प्रतिलिपि पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है। जिसके कारण परिवादी का कथन पूर्णतया गलत है। तथा इस आधार पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 3 के कथन विधिक प्रावधानो से सम्बन्धित है जिनके सम्बन्ध में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 4 के कथन में यह स्वीकार है कि परिवादी के द्वारा अपने नाम से विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 781705717968 विपक्षी / प्रतिवादी से प्राप्त किया था। यह कनेक्शन वाणिज्यिक विधा के श्रेणी में आता है। जिसका स्वीकृत भार 11.11 किलोवाट है तथा परिवादी के ऊपर दिनांक 30.09.2021 तक की अवधि का बकाया बिल रू. 34,32,562/- है। धारा 5 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी की विद्युत सप्लाई बकाया धनराशि का भुगतान न करने के कारण विच्छेदित की गयी। परिवादी के परिसर से माह 03/2021 में पुराना मीटर उतारकर नया मीटर स्थापित किया गया। पुराने मीटर में 3,46,778 यूनिट रीडिंग स्टोर पायी गयी जिसे सहायक अभियन्ता मीटर के द्वारा यूनिट का मूल्य लगाते हुये आयी धनराशि को बिल में जोड़ा गया। जिसके करण मार्च 2021 का बिल रू. 29,73,573/- आया तथा दिनांक 30.09.2021 तक का बिल रू. 34,32,562/- है। जिसका भुगतान करने की जिम्मेदारी परिवादी की है। इन दोनो बिलों की फोटो प्रतिलिपि जवाबदावे का क्रमशः संलग्नक 1 व 2 है। धारा 6 के कथन में यह स्वीकार है कि परिवादी का बिल फरवरी 2021 में रू. 6,048/- का था। उप खण्ड अधिकारी के द्वारा पुराना खराब मीटर उतारने पर उसमें स्टोर्ड यूनिट 3,46,778 पायी गयी। जिसको अप्रैल 2021 के महीने में सहायक अभियन्ता मीटर की एडवाइस पर उक्त यूनिट का मूल्य लगाते हुये बिल में धनराशि को जोड़ा गया जिसके कारण मार्च 2021 का बिल रू. 29,73,573/- बना। बकाया बिल धनराशि का भुगतान न करने के कारण परिवादी पर माह दर माह का बिल मय सरचार्ज सहित दिनांक 30.09.2021 तक का रू. 34,32,562/- हो गया। इसका भुगतान न्यूनतम गारण्टी धनराशि का भुगतान करने की जिम्मेदारी परिवादी की है। धारा 7 के कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा बकाया विद्युत धनराशि का भुगतान न करने तथा रिकनेक्शन एवं डिस्कनेक्शन की धनराशि को भुगतान न करने के कारण उसका विद्युत कनेक्शन जोड़ा नहीं जा पा रहा है। धारा 8 के कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को विद्युत सप्लाई अर्द्धनगरी क्षेत्र के हिसाब से की जा रही है। जिसके कारण वह किसी प्रकार रूरल सप्लाई की छूट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। धारा 9 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को समय-समय पर बिल जारी किये गये तथा विधिक प्रावधानों के अनुसार परिसर को चेक किया गया। धारा 10 के कथन विधिक प्रावधानों से सम्बन्धित है जिनके संदर्भ में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ यह बताना आवश्यक

आगे जारी है।

है कि परिवादी को समय-समय माह दर माह के बिल जारी किये गये यदि परिवादी को किसी बिल में कोई त्रुटि प्रतीत होती थी तो वह बिल में वर्णित धनराशि को अन्तर्गत विरोध जमा करते हुये अपना प्रतिवेदन उप खण्ड अधिकारी के कार्यालय में अथवा विपक्षी के कार्यालय में कर सकता था। किन्तु ऐसा कोई भी प्रयास परिवादी के द्वारा नहीं किया गया। यह कि पुनः नम्बरित धारा 10 के आशिंक कथन विधिक हैं। जिनके सम्बन्ध में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु शेष आशिंक कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा बिल के सही न होने के संदर्भ में परिवाद पत्र को प्रस्तुत करने से पहले कोई भी बिल को सही करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र / शिकायत पत्र प्रस्तुत नहीं किया और ऐसा कोई प्रलेख पत्रावली पर भी प्रस्तुत नहीं है। धारा 11 के कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को विधिक प्रावधानों के अनुसार विद्युत ऊर्जा प्रदान की जा रही है तथा बिल भी उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी टैरिफ के अनुसार जारी किये जा रहें है। धारा 12 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के द्वारा उपरोक्त परिवाद झूठे एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जो कि पोषणीय नहीं है। धारा 13 में यह अभिलिखित किया गया है कि परिवादी के ऊपर सितम्बर 2021 तक बकाया धनराशि रू. 34,32,562/- है जिसका भुगतान करने के लिये परिवादी जिम्मेदार है।

निष्कर्ष

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन किया गया।

(1) विपक्षी द्वारा उपलब्ध कराये गये लेजर (का. सं. 5/1 ता 5/4) से स्पष्ट है कि परिवादी को दिनांक 17.03.2021 को रु. 29,61,743/- का बिल उपलब्ध किया जिसके सम्बंध में उपभोक्ता को कोई बिल का विस्तृत विवरण नहीं उपलब्ध कराया गया इससे पूर्व उपभोक्ता द्वारा पूर्व के बिलों का भुगतान किया जाता रहा है।

इसके आलोक में विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को त्रुटि रहित संशोधित बीजक मीटर रीडिंग से सम्बंधित सभी विवरण उपलब्ध कराते हुए एवं परिवादी द्वारा पूर्व में जमा किये गये बिलों का समायोजन करते हुए किया जाना सुनिश्चित है। विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 में निहित निर्देशों के अनुसार उसको आवश्यक छूट प्रदान करते हुए संशोधित बीजक प्रदान करें एवं उपभोक्ता को यदि विद्युत आपूर्ति ग्रामीण फीडर से की जा रही है तो उसको परीक्षण करा करके उसी टैरिफ के अनुरूप संशोधित बिल उपलब्ध करायें।

आगे जारी है।

आदेश

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 में निहित निर्देशों के अनुसार उसको आवश्यक छूट प्रदान करते हुए संशोधित बीजक प्रदान करें एवं उपभोक्ता को यदि विद्युत आपूर्ति ग्रामीण फीडर से की जा रही है तो उसको परीक्षण करा करके उसी टैरिफ के अनुरूप संशोधित बिल उपलब्ध करायें एवं जांचोपरान्त यदि उपभोक्ता को ग्रामीण फीडर से आपूर्ति प्रदान की जा रही हो तो नियमानुसार Tarrif के अनुसार बिल संशोधित करें। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें। विपक्षी अनुपालन आख्या 30 दिवस के अन्दर फोरम को प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

09/11/22

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 09/11/2022

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

09/11/22

संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 09/11/2022

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति